न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

<u>अनुमति वाद संख्या 408 / 2019–20</u>

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1 29/12/2020	(आदेश नीचे देखें)	

आवेदक संजय बरला पिता स्व0 दोमनिक बरला, जाति खड़िया, ग्राम+ पो0 – ममरला, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

<u>भूमि का विवरणी</u>

राजस्व ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा एकड़ में	जमीन किस्म
ममरला	157	55	644	1.32 एकड में से 0.83 ½	टाड़ II

चौहदी :– उत्तर – निर्मला हाई स्कूल ममरला
दक्षिण – जोसेफ लकड़ा, पूरब – खेसरा संख्या 646
पष्चिम – संजय बरला टांड

जमीन विक्रेता का विवरणी

आवेदक संजय बरला पिता– स्व0 दोमनिक बरला, जाति– खड़िया, ग्राम+ पो0 – ममरला, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड)

जमीन क्रेता का विवरणी

बोनीफास लकड़ा, पिता– स्व0 जोहन डिब्बा, ग्राम+पो0– ममरला, थाना – बसिया, जिला– गुमला

न्यायालय उप समाहर्त्ता राजस्व भूमि सुधार विभाग ★ बसिया ★

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित **केता बोनीफास लकड़ा, पिता स्व0 जोहन डिब्बा, ग्राम+पो0– ममरला, थाना – बसिया, जिला– गुमला** को आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है, रूपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांकः– 18(ii) दिनांकः– 20/07/2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को मौजा ममरला खाता सं0 55 प्लॉट सं0 644 एकबा 1.32 एकड़ में से 0.83½ एकड़ जमीन को बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुआ है।

आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्षो द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति खड़िया एवं उरॉव के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को **आवेदक संजय बरला पिता स्व0 दोमनिक बरला, जाति खड़िया, ग्राम+ पो0 – ममरला, जिला– गुमला (झारखण्ड)** को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा ....स्वीकृति.... प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.08.12 13:17:14 +05:30
Location: 192.168.0.112